"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 सितम्बर 2013—भाद्र 26, शक 1935

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-07/2013/जन.नि./42.—छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 17 सितम्बर, 2013 के दिन को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत करती है.

New Raipur, the 17th September 2013

NOTIFICATION

No. F 9-07/2013/MPP/42.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013) the State Government, hereby, appoints the 17th day of September, 2013 as the date on which said Act shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.